राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः एफ.9 (23)ग्रुप–5/2005 जयपुर, दिनांक 14.10.2005

अधिसूचना

राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 27) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में 'राजस्थान राइट टू इन्फोरमेशन रूल्स, 2005' जो राजस्थान राजपत्र भाग 4 (ग) उपखण्ड (1) के असाधारण विशेषांक दिनांक 13.10.2005 में प्रकाशित हुए हैं, का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :

राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :**

(1) इन नियमों का नाम राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :**

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

क) 'अधिनियम' से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) अभिप्रेत है।

ख) 'आयोग' से राजस्थान सूचना आयोग अभिप्रेत है।

ग) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) इसमें प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।

(3) **आवेदन फीस :** धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के किसी अनुरोध के साथ, समुचित रसीद के पेटे नकद के रूप में या लोक प्राधिकारी को संदेय मांगदेय ड्राफ्ट, **बैंकर्स चैक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर*** के रूप में दस रूपये की आवेदन फीस दी जायेगी।

(4) **सूचना देने के लिए फीस :**

(1) धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना देने के लिए समुचित रसीद के पेटे नकद के रूप में या लोक प्राधिकारी को संदेय मांगदेय ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या **भारतीय पोस्टल ऑर्डर*** के रूप में फीस निम्नलिखित दरों से प्रभारित की जायेगी-

(क) बनाये गये या नकल किये गये प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार के

कागज में) के लिए दो रूपये

*ग्रह विभाग की अधिसूचना नं. एफ (23) ग्रुप-6 2005 जयुपर दि.29.7.06 के आदेश से जोड़ा गया।

(ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत कीमत,

(ग) सैम्पल या मॉडल के लिए वास्तविक लागत कीमत, और

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रथम घण्टे के लिए कोई फीस नहीं, और उसके पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट या उसके भाग के लिए पांच रूपये की फीस।

(2) धारा 7 की उप-धारा (5) के अधीन सूचना देने के लिए समुचित रसीद के पेटे नकद के रूप में या लोक प्राधिकारी को संदेय मांगदेय ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर* के रूप में फीस निम्नलिखित दरों से प्रभारित की जायेगी-

*अधिसूचना नं.एफ 9 (23) ग्रुप-6/2005 जयपुर दिनांक 29.7.06 से जोड़ा गया।

(क) डिस्क या फ्लापी में दी गयी सूचना के लिए प्रति डिस्क या फ्लापी पचास रूपये, और

(ख) मुद्रित रूप में दी गयी सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या प्रकाशन से उद्धरणों की फोटोप्रति के प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रूपये।

5. **अपील की अन्तर्वस्तु** : आयोग को की जाने वाली अपील में निम्नलिखित सूचना अन्तर्विष्ट होगी, अर्थात्

(i) अपीलार्थी का नाम और पता,

(ii) राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता,

(iii) संख्यांक और दिनांक सहित आदेश की विशिष्टियाँ जिसके विरूद्ध अपील की गयी है,

(iv) अपील किये जाने के संक्षिप्त तथ्य,

(v) प्रार्थना या अनुतोष के आधार

(vi) अधिनियम या नियमों के उपबंध,

(vii) प्रार्थना या चाहा गया अनुतोष,

(viii) अपीलार्थी द्वारा सत्यापन, और

(ix) कोई भी अन्य सूचना जो आयोग अपील को विनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझें।

6. **अपील के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज** : आयोग को की जाने वाली प्रत्येक अपील के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे, अर्थात्-

(i) उस आदेश की अनुप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जिसके विरूद्ध अपील की जा रही है,

(ii) अपीलार्थी द्वारा अवलम्ब किये गये और अपील में निर्देशित दस्तावेजों की प्रतिलिपियां, और

(iii) अपील में निर्दिष्ट किये गये दस्तावेजों की अनुक्रमणिका

7. **अपील विनिश्चित करने की प्रक्रिया** : अपील विनिश्चित करते समय आयोग-

(i) संबंधित या हितबद्ध व्यक्ति से शपथ पर या शपथपत्र पर मौखिक और लिखित साक्ष्य पर विचार करेगा,

(ii) दस्तावेजों, लोक अभिलेख या उनकी प्रतिलिपियों का परिशिलन या निरीक्षण करेगा,

(iii) प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से और ब्यौरों या तथ्यों की जांच करेगा,

(iv) राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी या, यथास्थिति, ऐसे वरिष्ठ अधिकारी को सुनेगा जिसने प्रथम अपील को विनिश्चत किया है,

(v) अन्य व्यक्ति को सुनेगा, और

(vi) राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी, ऐसे वरिष्ठ अधिकारी, जिसने प्रथम अपील या विनिश्चय किया है या अन्य व्यक्ति से शपथपत्र पर साक्ष्य अभिप्राप्त करेगा।

8. आयोग द्वारा नोटिस की तामील- आयोग द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस निम्नलिखित में से किसी भी रीति से तामील किया जा सकेगा, अर्थात

(i) पक्षकार द्वारा स्वयं तामील करके,

(ii) आदेशिका तामीलकर्ता के जरिए दस्ती परिदान करके,

(iii) रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा।

9. आदेश का हस्ताक्षरित किया जाना- खुली कार्यवाहियों में सुनाया गया आयोग का आदेश लिखित में होगा और रजिस्ट्रार या इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा।